रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 1984/ज्येष्ठ 21,
No. 272] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 1984/JYAISTHA 21, 1906

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जून, 1984

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 437(अ)/सं. ई(सी) ओ, 1977/एएम (287) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 7वां संशोधन आदेश, 1984 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 3 के खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 3 में क्रम सं. 14-क के सामने के कालम-4 में आयी

हुई वर्तमान शर्त के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"14-क निर्यात की अनुमति न्यूनतम 19,000/-रू. प्रति मीट्रिक टन जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अधीन दी जाएगी ।"

[नि. संख्या 23/2/83-ई-1]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 11th June, 1984

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 437(E)|No. E(C)O, 1977|AM(287).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventh Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order, 1977 the existing condition appearing in Column 4 of O.G.L. No. 3 in Schedule-III against S. No. 14A the following shall be substituted :—

"14A Export allowed subject to minimum export price of Rs. 19,000 per MT. f.o.b."

[F. No. 23|2|83|E-I]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984